U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

UPRVUNL

पत्रांकः सचिव/उ0नि0लि0/जी–3/1396 | दिनांक : सितम्बर, 25 ,2013

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की 156वीं बैठक जो दिनांक 06.09.2013 को सम्पन्न हुयी में लिये गये निर्णय के कम में निगम के अन्तर्गत निधि माँग–पत्रों के विरूद्ध निधि निर्गमन प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत एवं सरलीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकारों का निम्नवत प्रतिनिधायन किया जाता है :–

क्र0 सं0	मद	निधि निर्गमन स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं वित्तीय सीमा (रू0 करोड़ में)
1.	कोयला क्रय :– सामान्यतः इस मद में भुगतान अग्रिम/एल0सी0 द्वारा होता है किन्तु निगम में निधि की कमी के कारण कोल कंपनियों के दायित्व संक्षिप्त हो जाते हैं ऐसी दशा में एक मुश्त निधि निर्गमन की आवश्यकता हेतु अनुमोदन।	निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) रू0 20.00 करोड़ तक। तद्पुरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
2.	(i) रेलभाड़ा :– रेलभाड़ा ई0आर0आर0 से अग्रिम भुगतान होता है किन्तु निधि की कमी से कभी–कभी TO-PAY की RR बनने पर निधि निर्गमन की आवश्यकता हेतु अनुमोदन। (ii) रेलवे साइडिंग एवं सटिंग चार्जेज (iii) डैमरेज	निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) पूर्ण अधिकार। –तदैव– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
3.	प्रवेश कर (कोयला एवं तेल क्रय पर)	निदेशक (वित्त)
4.	तेल क्रय :– (i) यदि विगत तीन माह में परियोजना पर तेल उपभोग की प्रवृत्ति नियामक आयोग के मानक के अधीन रही है। (ii) विगत तीन माह में परियोजना पर तेल उपभोग की प्रवृत्ति नियामक आयोग के मानक के अधीन न होने पर।	निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) पूर्ण अधिकार। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
5.	अनुरक्षण एव परिचालन :– (i) यदि निर्धारित मासिक अनुरक्षण एवं परिचालन धनराशि कमी/वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है। (ii) विशेष निधि माँग जिसमें निधि निर्गमन आगामी माहों के अनुरक्षण एवं परिचालन मद की मासिक राशि से अधिकतम तीन माह में समायोजन किया जाना प्रस्तावित है। (iii) विशेष निधि माँग जो उक्त (ii) की सीमा से बाहर है अथवा जिसमें निर्धारित मासिक धनराशि से समायोजन बिना अतिरिक्त निधि निर्गमन प्रस्तावित है।	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) पूर्ण अधिकार। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Regd. Office : Shakti Bhawan Extn. 14-Ashok Marg, Lucknow 226 001
Phone (0522) -2287559, fax (0522)-2287555,Shakti Bhawan –(0522) 2287701 Extn. 8568

UPRVUNL

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

6.	अनुरक्षण एवं परिचालन मद में बी0एच0ई0एल0 एवं आई0एल0 कोटा के दायित्व	निदेशक (वित्त) क्रमशः रू0 12.00 करोड़ एवं रू0 1.00 करोड़ प्रतिमाह तक। तदोपरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
7.	ओवरहालिंग	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
8.	मुख्यालय की अनुरक्षण एवं विविध क्रय सम्बन्धी माँग	निदेशक (वित्त) (सम्बन्धित निदेशक की सहमति उपरान्त) रू0 5.00 लाख प्रति प्रकरण। तदोपरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
9.	(i) वेतन एवं अधिष्ठान संबंधी व्यय (अतिकाल एवं वर्दी को छोड़कर) (ii) अतिकाल (iii) वर्दी	मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) पूर्ण अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक निदेशक (वित्त) (निदेशक (कार्मिक) की सहमति उपरान्त) पूर्ण अधिकार यदि वर्दी क्रय निगम के निर्धारित मानक के अधीन है।
10.	(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल – नियमित मासिक धनराशि। (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लम्बित दायित्व के निस्तारण हेतु निधि माँग। (iii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अस्त्र–शस्त्र, वाहन, फायर टेण्डर तथा अन्य विशेष माँग।	निदेशक (वित्त) पूर्ण अधिकार। निदेशक (वित्त) पूर्ण अधिकार। निदेशक (वित्त) (निदेशक (कार्मिक) की सहमति उपरान्त)। इस मद में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के प्रशासनिक अनुमोदन के अनुक्रम में निधि अवमुक्त करने का पूर्ण अधिकार।
11.	पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट को जी0पी0एफ0 एवं सेवानिवृत्ति अंशदान	निदेशक (वित्त) रू0 20.00 करोड़ प्रति माह तक। तदोपरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
12.	वित्तीय संस्थानों से प्राप्त परियोजनाओं की पूँजीगत योजनाओं के विरूद्ध रियम्बर्समेंट क्लेम के सापेक्ष निधि निर्गमन	मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) पूर्ण अधिकार।
13.	वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों की किश्त एव ब्याज का पुर्नभुगतान।	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
14.	पूँजीगत/आर0 एण्ड एम0 क्रय एवं कार्यों हेतु मुख्यालय से शासकीय अंशपूँजी के सापेक्ष निधि निर्गमन।	निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) रू0 100.00 लाख तक। तदोपरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
15.	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीजकों के विरूद्ध निधि माँग के सापेक्ष निधि निर्गमन अनुमोदन हेतु।	निदेशक (वित्त) (निदेशक (तकनीकी) की सहमति उपरान्त) रू0 100.00 लाख तक। तदोपरि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

Regd. Office : Shakti Bhawan Extn. 14-Ashok Marg, Lucknow 226 001
Phone (0522) -2287559, fax (0522)-2287555, Shakti Bhawan –(0522) 2287701 Extn. 8568

Ujjwal

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

उपरोक्त प्रतिनिधायित अधिकारों के अन्तर्गत निधि निर्गमन प्राधिकार पत्र पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु निम्न दो सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है :–

1. निदेशक (वित्त)
2. निदेशक (तकनीकी)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) इस समिति के संयोजक होंगें।

उपरोक्त प्रतिनिधयानों में जो अधिकार पूर्ण रूपेण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक में निहित है और उपरोक्त प्रतिनिधायन में सम्मलित नहीं है के प्रकरणों में पूर्व की भांति निधि निर्गमन पूर्व में गठित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त) की समिति द्वारा किए जाएगें।

उपरोक्त प्रतिनिधायनों के फलस्वरूप निगम में अब दो निधि प्रबन्धन समिति कार्यरत रहेंगीं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगें।

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से</u>

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी)/(कार्मिक), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– मुख्य अभियन्ता/परियोजना प्रमुख, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना।
4– मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/ईंधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/मानव संसाधन/आर0 एण्ड एम0/वाणिज्य/कारपोरेट स्ट्रेटजी/टॉम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

25/9/13
(एच0 के0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

Regd. Office : Shakti Bhawan Extn. 14-Ashok Marg, Lucknow 226 001
Phone (0522) -2287559, fax (0522)-2287555,Shakti Bhawan –(0522) 2287701 Extn. 8568